रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 414] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 1994/आश्विन 12, 1916
No. 414] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1994/ASVINA 12, 1916

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1994

सा.का.नि 737(अ):—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराये का प्रतिदाय) नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराये का प्रतिदाय) संशोधन नियम, 1994 है।

(2) ये 4 अक्तूबर, 1994 को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराये का प्रतिदाय) नियम, 1990 में,—

(1) नियम 2 के खण्ड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(7) "स्टेशन" से कोई रेल स्टेशन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसी शहर में अन्य आरक्षण कार्यालय या बुकिंग कार्यालय भी है";

(2) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"3. स्टेशन मास्टर द्वारा किरायों का प्रतिदाय किया जाना :—

(1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अप्रयुक्त अनारक्षित टिकट पर, जब ऐसा टिकट किराये के प्रतिदाय के लिये टिकट जारी करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्रस्तुत किया जाये, किराये का प्रत्येक प्रतिदाय ऐसे स्टेशन मास्टर द्वारा टिकट की स्टेशन के अभिलेख में असलीयत का सत्यापन करने के पश्चात् मंजूर किया जायेगा।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आरक्षित टिकटों, रद्द आरक्षण टिकटों और प्रतीक्षा सम्बद्ध टिकटों पर, जब ऐसे टिकटों को किराये के प्रतिदाय के लिये टिकट जारी करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्रस्तुत किया जाये, किराये का प्रत्येक प्रतिदाय ऐसे स्टेशन मास्टर द्वारा टिकटों और उनकी विशिष्टियों की कम्प्यूटर के द्वारा या स्टेशन के अभिलेख में असलीयत का सत्यापन करने के पश्चात् मंजूर किया जायेगा :

परन्तु किराये का प्रतिदाय किसी अन्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकेगा :—

(i) टिकट को, आरक्षण कार्यालय के कार्य-समय के दौरान और संबंधित रेलगाड़ी के आरक्षण-चार्ट के तैयार करने के पूर्व, उस स्टेशन के लिये जहां से टिकट विधिमान्य है, किराये के प्रतिदाय के लिये अभ्यर्पित किया जाता है ।

(ii) टिकट और उसकी विष्टियों की असलीयत कम्प्यूटर के द्वारा या स्टेशन के अभिलेख से प्रतिदाय मंजूर करने वाले स्टेशन पर सत्यापनीय है ;

(iii) यदि उपर्युक्त शर्त (i) और शर्त (ii) पूरी नहीं की जाती हैं तो अभ्यर्पित टिकट के बदले यात्री को टिकट जमा रसीद जारी की जायेगी और वह प्रतिदाय के लिये आवेदन मूल टिकट जमा रसीद संलग्न करके टिकट जारी करने वाले स्टेशन के मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक (प्रतिदाय) को भेजेगा ।" ।

[सं. टी.सी. II/2003/89/नियम]

एस.के. चौधुरी, कार्यपालक निदेशक, यातायात वाणिज्यिक (रेट)

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का. नि. सं 646(अ) तारीख 18 जुलाई, 1990 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. सं. 551(अ) तारीख 29 अगस्त 1991 सा. का. नि. सं. 914(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1992 एवं सा. का. नि. 548(अ) तारीख 29 जून, 1994 द्वारा उसमें संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 1994

G.S.R. 737(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Passengers (Cancellation of tickets and refund of fares) Rules, 1990, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Passengers (cancellation of tickets and refund of fares) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the fourth day of October, 1994.

2. In the Railway Passengers (cancellation of tickets and refund of fares) Rules, 1990, —

(1) in rule 2, for clause (7), the following clause shall be substituted, namely : —

"(7) "Station" means a railway station and includes other reservation offices or booking offices in the same city";

(2) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Station Master to refund fares —

(1) Save as otherwise provided in these rules, every refund of fare on unused unreserved ticket shall, when such ticket is presented for refund of fare to the station master of ticket issuing station, be granted by such station master after verification of genuineness of ticket from the record of the station.

(2) Save as otherwise provided in these rules, every refund of fare on reserved tickets, RAC tickets and wait-listed tickets shall, when such tickets are presented for refund of fare to the station master of ticket issuing station, be granted by such station master after verification of genuineness of tickets and their particulars through computer or from the record of the station.

Provided that refund of fare may be granted by the station master of any other station also subject to the condition that —

(i) the ticket is surrendered for refund of fare during working hours of the reservation office and before the preparation of reservation chart, of the concerned train, for the station from where the ticket is valid;

(ii) the genuineness of ticket and its particulars are verifiable at the refund granting station through computer or from record of the station;

(iii) if the conditions (i) and (ii) above are not fulfilled, a ticket deposit receipt will be issued to the passenger in lieu of the surrendered ticket, who will send an application for refund to the Chief Commercial Manager (Refunds) of ticket issuing railway enclosing the original ticket deposit receipt.".

[No. TC II/2003/89-Rules]

S. K. CHAUDHURI, Exe. Director, Traffic Comml. (Rates)

Footnote : The principle rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 646(E) dated 18th July, 1990 and subsequently amended vide G.S.R. 551 (E) dated 29th August, 1991; G.S.R. 914(E) dated 7th December, 1992 and G.S.R. 548(E) dated 29th June, 1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994